राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 20, शुक्रवार, शाके 1931–सितम्बर 11, 2009
Bhadra 20, Friday, Saka 1931–September 11, 2009

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 11, 2009

संख्या प. 2(18) विधि/2/2009.– राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 सितम्बर, 2009 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 16)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 सितम्बर, 2009 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.– (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह राज-पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.-जब तक कि विषय या संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) "विवाह का प्रमाणपत्र" से धारा 9 के अधीन जारी विवाह का प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ख) "विवाह" में पुनर्विवाह सम्मिलित है;

(ग) "ज्ञापन" से धारा 7 में वर्णित विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन अभिप्रेत है;

(घ) "रजिस्टर" से धारा 13 के अधीन संधारित विवाह का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ङ) "रजिस्ट्रार" से धारा 4 के अधीन नियुक्त विवाह का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(च) "जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" से धारा 5 के अधीन नियुक्त जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "महारजिस्ट्रार" से धारा 6 के अधीन इस रूप में पदाभिहित महारजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ज) "अनुष्ठापित करना" से किसी भी रूप में या रीति से विवाह करना अभिप्रेत है;

(झ) "प्रस्तुत करना" में रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजना सम्मिलित है।

3. विवाह के रजिस्ट्रीकरण का अनिवार्य होना.-इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं, के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा।

4. रजिस्ट्रार की नियुक्ति.-राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इतने व्यक्तियों को, जितने वह आवश्यक समझे, नाम से या पदाभिधान से, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए, जो विहित किये जायें, विवाह के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

5. जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति.– राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नाम से या पदाभिधान से संबंधित जिले के लिए जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

6. महारजिस्ट्रार.–राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, स्वाधीन विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को मानीटर और पुनरीक्षित करने के लिए राजस्थान राज्य के लिए विवाह के महारजिस्ट्रार के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।

7. विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन.–विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन ऐसे प्ररूप में होगा जैसा विहित किया जाये।

8. ज्ञापन प्रस्तुत करने का कर्तव्य.–(1) पक्षकार, या जहां पक्षकार इक्कीस वर्ष के न हों वहां पक्षकारों के माता पिता या, यथास्थिति, संरक्षक विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर, उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या दोनों पक्षकार या उनमें से कोई निवास करता है।

(2) कोई भी ज्ञापन, जो उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो, ऐसी शास्ति के संदाय पर, जो विहित की जाये, किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा।

9. विवाह का रजिस्ट्रीकरण और विवाह का प्रमाणपत्र.–सभी प्रकार से पूर्ण ज्ञापन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार विवाह का विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण करेगा और उस व्यक्ति को, जिसने ज्ञापन प्रस्तुत किया है, विहित प्ररूप में विवाह का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह का रजिस्ट्रीकरण.–इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित किसी भी विवाह का, धारा 7 के अधीन विहित प्ररूप में ज्ञापन प्रस्तुत करने और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाये, रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा।

11. अरजिस्ट्रीकरण विवाह को अविधिमान्य नहीं करेगा.–कोई विवाह मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा कि ऐसा विवाह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है।

12. शास्ति.–(1) कोई भी व्यक्ति –

(क) जो, धारा 8 के अधीन ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होते हुए भी, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसा ज्ञापन प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ख) जो, ज्ञापन में कोई ऐसा कथन या घोषणा करता है जो तात्विक विशिष्टि में मिथ्या हो और जिसके मिथ्या होने के बारे में वह जानता हो या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो,

दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो विहित किया जाये, दण्डनीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई भी अभियोजन, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के सिवाय संस्थित नहीं किया जायेगा।

13. रजिस्टर और अभिलेखों का संधारण.–रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से विवाह का रजिस्टर संधारित करेगा जो विहित की जाये और ऐसे अन्य सुसंगत अभिलेख भी संधारित करेगा।

14. रजिस्टर और अभिलेखों का लोक निरीक्षण के लिए खुला होना और उद्धरणों की प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना.–(1) इस अधिनियम के अधीन संधारित रजिस्टर और अभिलेख रजिस्ट्रार को किये गये आवेदन और ऐसी फीस, जो विहित की जाये, के संदाय पर समस्त युक्तियुक्त समय पर लोक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(2) इस निमित्त किये गये आवेदन पर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाये, रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित रजिस्टर या अभिलेख के किसी उद्धरण की प्रति आवेदक को देगा।

15. रजिस्ट्रार द्वारा विवाह के प्रमाणपत्र की प्रति जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाना.--जब रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन किसी विवाह को रजिस्ट्रीकृत करता है तब वह तदुपरान्त तत्काल विवाह प्रमाणपत्र की एक प्रति जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जो उसके लिए विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के कार्य को मानीटर और पुनरीक्षित करने में सहायक होगी।

16. रजिस्ट्रार का लोक सेवक होना.--प्रत्येक रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी, जब वह इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहा हो या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

17. संरक्षण.--किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो।

18. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जायेगा।

19. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी भी मामले के

लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) ज्ञापन का प्ररूप;

(ख) ज्ञापन के साथ दी जाने वाली फीस;

(ग) विवाह के प्रमाणपत्र का प्ररूप;

(घ) रजिस्टर का प्ररूप और वह रीति जिसमें ऐसा रजिस्टर संधारित किया जायेगा;

(ङ) अन्य अभिलेख जो रजिस्ट्रार द्वारा रखा और संधारित किया जायेगा और वह प्ररूप और रीति जिसमें ऐसा अभिलेख संधारित किया जायेगा;

(च) रजिस्टर और अन्य अभिलेखों के निरीक्षण के लिए फीस;

(छ) रजिस्टर और अन्य अभिलेखों के उद्धरणों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने के लिए आवेदन का प्ररूप और फीस;

(ज) कोई भी अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए विहित किया जाना हो या किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हों, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके

अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

20. **अधिनियम का कतिपय विवाहों पर लागू न होना.**–यह अधिनियम भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 15), पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) के अधीन अनुष्ठापित विवाहों पर लागू नहीं होगा।

21. **निरसन और व्यावृत्तियां.**–(1) विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश आदेश क्रमांक प. 6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22-05-2006 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन होने पर भी, उक्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत सभी विवाह, समस्त प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझे जायेंगे और उक्त दिशा निर्देशों के अधीन जारी सभी प्रमाण पत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये समझे जायेंगे।

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW(LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP – II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 11, 2009

No. F. 2 (18) Vidhi/2//2009.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vivahon ka

Anivarya Ragistrikaran Adhiniyam, 2009 (2009 ka Adhiniyam Sankhyank 16):-

(Authorized English Translation)

THE RAJASTHAN COMPULSORY RGISTRATION OF MARRIAGES ACT, 2009

(Act No. 16 of 2009)

[Received the assent of the Governor on the 10th day of September, 2009]

An

Act

to provide for compulsory registration of marriage in the state of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.– (1) This Act may be called the Rajasthan compulsory Registration of Marriages Act, 2009.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– In this Act, unless the subject or context otherwise requires,–

(a) "Certificate of marriage" means a certificate of marriage issued under section 9;

(b) "Marriage" includes remarriage;

(c) "Memorandum" means the Memorandum for registration of marriage mentioned in sectio7;

(d) "Register" means a register of marriage mentioned under section 13;

(e) "Registrar" means the Registrar of marriage appointed under section 4;

(f) "District Marriage Registration Officer" means the District Marriage Registration Officer appointed under section 5;

(g) "Registrar General" means the Registrar General designated as such under section 6;

(h) "Solemnize" means to enter into a marriage in any form or manner;

(i) "To submit" includes send by registered post acknowledgement due.

3. Registration of marriage to be compulsory.- Registration of every marriage solemnized between the persons who are citizens of India in the State of Rajasthan after the commencement of this Act shall be compulsory.

4. Appointment of Registrar.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, either by name or by virtue of office, as many persons as it thinks necessary to be the Registrar of marriage for such local areas as may be prescribed.

5. Appointment of District Marriage Registration Officer.- The state Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, either by name or by virtue of office, District Marriage Registration Officer for the district concerned.

6. Registrar General.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, designate a senior officer of the concerned department as Registrar General of marriages for the State of Rajasthan to monitor and review the effective implementation of this Act.

7. Memorandum for Registration of marriage.- Memorandum for registration of a marriage shall be in such form, as may be prescribed.

8. Duty to submit the memorandum.- (1) The parties, or in case the parties have not completed the age of twenty one years, the parents or as the case may be, guardian of the parties, shall be responsible to submit the memorandum within a period of thirty days from the date of solemnization of the marriage to the Registrar within whose jurisdiction the marriage is solemnized or both or any of the parties resides.

(2) A memorandum, which is not submitted within the time limit specified in sub-section(1), may be submitted at any time on payment of penalty as may be prescribed.

9. Registration of marriage and marriage certificate.- On receipt of the memorandum completed in all respects, the Registrar shall register the marriage in the prescribed manner and shall issue a certificate of marriage in the prescribed form to the person who has submitted the memorandum.

10. Registration of marriage solemnized prior to the commencement of this Act.- Notwithstanding anything contained in this Act, any marriage solemnized prior to the commencement of this act may be registered on submitting a memorandum in the form prescribed under section 7 and on payment of such fee as may be prescribed.

11. Non-registration not invalidate the marriage.- No marriage shall be deemed to be invalid solely for the reason that such marriage has not been registered under this Act.

12. Penalty.- (1) Any Person-

(a) Who, being responsible to submit a memorandum under section 8, fails to submit

such memorandum within the period specified therein; or

(b) Who makes any statement or declaration in a memorandum which is false in any material particular and which he knows or has reason to believe to be false,

shall, on conviction, be punishable with fine as may be prescribed.

(2) No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted except by an officer authorized by the State Government in this regard.

13. Maintenance of the register and records.- The Registrar shall keep and maintain a register of marriages in such form and in such manner as may be prescribed and shall also maintain such other relevant records.

14. Register and record to be open for public inspection and certified copies of extracts to be given.-(1) The Register and the record maintained under this Act, on an application made to the Registrar and on payment of such fee, as may be prescribed, shall, at all reasonable time, be open for public inspection.

(2) On an application being made in this behalf and on payment of such fee, as may be prescribed, the Registrar shall furnish to the applicant a copy of any extract of the Registrar or record maintained by him under this Act.

15. Registrar to furnish a copy of the certificate of marriage to the District Marriage Registration Officer.- When the Registrar registers a marriage under this Act, he shall immediately thereupon send a copy of the certificate of marriage to the District Marriage Registration Officer which will be helpful for him to monitor and review the work of the registration of marriages.

17

16. Registrar to be the public servant.- Every Registrar and every employee in the office of the Registrar shall, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

17. Indemnity.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall be insituted against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or the rules made there under.

18. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government, by notification in the Official Gazette, make such orders, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature while it is in session.

19. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the form of memorandum;

(b) fee to be accompanied with the memorandum;

(c) the form of the certificate of the marriage;

(d) the form of the Register and the manner in which such register shall be maintained;

(e) other record which shall be kept and maintained by the Registrar and the form and manner in which such record shall be maintained;

(f) fee for the inspection of the register and other records;

(g) the form of the application and the fee for grant of the certified copies of the extracts of the register and other records;

(h) any other matter which is to be or may be prescribed by the State Government for carrying out the purposes of this Act.

(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.

20. Act not to apply to certain marriages.- This Act shall not apply to marriages solemnized under the Indian Christian Marriage Act, 1872 (Central Act No. 15 of 1872), The Parsi Marriage and Divorce Act,1936 (Central Act No. 03 of 1936) or the Special Marriage Act, 1954(Central Act No. 42 of 1954).

21. Repeal and Savings.- (1) Guidelines for compulsory registration of marriage issued by the Home Department vide order No. F.6(19)Home-13/2006 dated 22-05-2006 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal all the marriages registered in accordance with such guidelines shall be deemed for all purposes the marriages registered under the provisions of this Act and all the certificates issued under the said guidelines shall be deemed to have been issued under the provisions of this Act.

एस. एस. कोठारी,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.